भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4104
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- जल प्रबंधन के अभाव में इटावा की भूमि का कृषि योग्य न होना

4104. श्री जितेंद्र दोहरेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इटावा जिले में लगभग 50 प्रतिशत भूमि बीहड़/बंजर है जो अत्यधिक कटाव, ऊबड़-खाबड़ भू-भाग तथा जल प्रबंधन के अभाव के कारण कृषि योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या विशेष संज्ञान लिया गया है तथा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस क्षेत्र की स्थलाकृति, मृदा संरचना तथा जल निकास प्रणाली का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक समिति गठित कर सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कराने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है तथा भविष्य के लिए क्या योजना है;

(च) क्या सरकार जल संरक्षण, मृदा प्रबंधन तथा हरित आवरण में वृद्धि करने के लिए कोई एकीकृत योजना क्रियान्वित कर रही है और यदि हां, तो अब तक उठाए गए ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का बीहड़/बंजर भूमि को उर्वर भूमि में परिवर्तित करने तथा पात्र कृषकों को आवंटित करने का विचार है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ज): उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इटावा जिले में बीहड़/बंजर सहित समस्याग्रस्त क्षेत्र 31508 हेक्टेयर है, जो जिले के कुल 240270 हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 13% है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने बीहड़ भूमि के सुधार के लिए तकनीकें विकसित की हैं, जैसे समतलीकरण और सीढ़ीनुमा खेती, परिधीय मेड़बंदी, बांस आधारित गली प्लग, जल संचयन संरचनाएं आदि। इन तकनीकों को आईसीएआर - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र, आगरा द्वारा कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इटावा जिले के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ साझा किया गया है।

भूमि संसाधन विभाग देश में बंजर भूमि सहित वर्षा सिंचित/क्षयग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले सहित देश भर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी) के वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट को लागू कर रहा है। इस योजना में प्रमुख गतिविधियाँ हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रिज एरिया ट्रीटमेंट, जल निकासी लाइन उपचार, मिट्टी और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी, वनीकरण, बागवानी, चारागाह विकास आदि शामिल हैं। वर्ष 2009-10 से 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट-1.0 के तहत इटावा में 41218 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 09 परियोजनाएँ स्वीकृत और कार्यान्वित की गईं और वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट- 2.0 के तहत जिले में 4850 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली एक परियोजना को मंजूरी दी गई है।

*****